बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में नगर निगम,नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं यथा-मुख्यमंत्री नली-गली योजना एवं अन्य योजनाओं का कार्य ई-टेन्डर के माध्यम से हो रहा है। ई-टेंडर के द्वारा किसी भी योजना के कार्य प्रारंभ होने में दो से तीन माह का समय लगता है जिस कारण से स्थानीय स्तर पर जनहित में तत्काल कम प्राक्कलित राशि के द्वारा क्रियान्वित कराये जाने वाले योजनाओं में अनावश्यक बिलंब होने से स्थानीय जनता में काफी आक्रोश है। उक्त मामले में निर्वाचित जनप्रतिनिधि यथा –वार्ड पार्षद विवश होते हैं।

अत: उक्त मामले में 15.00 लाख से कम प्राक्कलित राशि वाले योजनाओं को विभागीय स्तर से कराये जाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं।

ह0/- रीना देवी
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-37/2018 - 400 (1) दिनांक- 19.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-28/2/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 19.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

खगड़िया जिले में कुल सात अंचल है। सातों अंचलों के 295 (दो सौ पनचानवें) मौजा में 34077 (चौतीस हजार सत्हत्तर) खाता एवं 1,51,938 (एक लाख एकावन हजार नौ सौ अड़तीस) खेसरा है। (विभागीय वेबसाईट के अनुसार)

ऊपर दर्शाये गये खेसरों में 44,000/- (चौवालिस हजार) खेसरों के निबंधन पर रोक है। जिससे सरकार को करोड़ों रूपये राजस्व की क्षति हो रही है।

जिला पदाधिकारी,खगड़िया के पत्रांक-980 दिनांक-18/7/2014 के पत्र के बाद इन खेसरों के निबंधन पर रोक लगा,जिनका जमाबंदी 1957 से चल रहा है, रजिस्टर-2 में भी दर्ज है, उन पर भी रोक लगा हुआ है।

अवर निबंधक पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जितने भी दस्तावेज संबंधित अंचल पदाधिकारी अथवा अपर समाहर्ता खगड़िया के पास सत्यापन के लिए भेजा गया, एक का भी जवाब हाँ या ना में नहीं आया।

सरकार के सचिव-सह –निबंधन महानिरीक्षक,बिहार पटना ने अपने पत्रांक-1/एम-185/2007-3084 दिनांक- 14/11/2007 को सभी समाहर्ता – सह –जिला निबंधक को पत्र भेजकर निर्देश दिये कि किस परिस्थिति में जमीन पर निबंधन पर रोक रहेगा।

महाधिवक्ता,बिहार,उच्च न्यायालय,पटना ने भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जमीन के निबंधन में निबंधन पदाधिकारी बिना किसी साक्ष्य के दस्तावेज को अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं।अत: खगड़िया जिले के निबंधन पर लगी रोक को समाप्त करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सोनेलाल मेहता
स.वि.प.

ज्ञापांक :बि0प0ध्या0प्र0-36/2018 – 399 (1) दिनांक- 19.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/निबंधन, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-28/2/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 19.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में आमजन की शिकायत एवं समस्या के समाधान हेतु देश नहीं दुनिया बिहार संभवत: पहला राज्य है जिसके शिकायतों एवं उसके निवारण का अवसर प्रदान करते हुए ठोस पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था निर्धारित करते हुए 5 जून 2016 से बिहार लोक शिकायत अधिकार 'अधिनियम' लागू किया है।

ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम के तहत 44 विभाग कार्यरत हैं। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार परिवाद दायर के लिए नि:शुल्क व्यवस्था की गई है जिसके लिए ऑनलाईन पोटल,नि:शुल्क कॉल सेंटर सुविधानुसार ई-मेल से भी शिकायत दर्ज किये जाने का प्रावधान है।प्रखंड,अनुमंडल,जिला एवं मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा ससमय का निराकरण कर प्रभावित व्यक्तियों को न्याय दिलाना है। इसमें विफल रहने वाले लोक शिकायत पदाधिकारी पर सशुल्क दंड एवं प्रपत्र 'क' गठित करने का प्रावधान है।

अत: वर्ष 2016 से दिसम्बर 2017 तक अभी तक कितने मामले का ससमय निष्पादन किया गया तथा नहीं करने वाले कितने पदाधिकारी पर कौन सी कार्रवाई की गई, इस संबंध में सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- नीरज कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-35/2018 - 398 (1) दिनांक- 19.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ सामान्य प्रशासन विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-28/2/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।
3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 19.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन वर्ष 1976 में शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया था। कालान्तर में उसका नाम शिक्षा सेवा बोर्ड कर दिया गया और बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन एवं नियंत्रण) अधिनियम- 1981 के प्रावधानों के तहत उसका नाम बदल कर विद्यालय सेवा बोर्ड कर दिया गया।वर्ष 2004 में विद्यालय सेवा बोर्ड को भंग कर दिया गया तथा उसके आस्तियों एवं दायित्व तथा कि्मयों का समायोजन बिहार कर्मचारी चयन आयोग में कर दिया गया । वर्ष 1975 में शिक्षा विभाग के अधिसूचना सं0-5163 दिनांक-17/11/1975 के कंडिका -11 में यह स्पष्ट अंकित था कि आयोग के अनुसचिवीय कर्मचारी एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के वेतनमान,नियुक्ति एवं प्रोन्नति के नियम तथा सेवा की अन्य शर्त्तें वहीं होगी जो बिहार सचिवालय में उन पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है। परंतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समायोजित कर्मियों की शिक्षा बोर्ड आयोग/ बोर्ड में की गयी सेवा की गणना उनके वेतन संरक्षण पेंशन, ए.सी.पी., एम.ए.सी.पी. छुटटी वेतन आदि में नहीं किया जा रहा है जबकि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा कई न्याय निर्णयों में उनकी आयोग / बोर्ड में की गई सेवा की गणना करने का आदेश दिया है।

अत: मैं माननीय उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश, सरकार के विभिन्न विभागों के पत्र / परिपत्र,वित्त विभाग के परिपत्र के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग में समायोजित कर्मियों के पूर्व की सेवा की गणना कर लाभ दिये जाने के संबध में सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- केदार नाथ पाण्डेय
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-34/2018 – 396 (1) दिनांक- 19.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ सामान्य प्रशासन विभाग/शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-28/2/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 19.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

भारत सरकार,कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के आदेश सं0- 21-12-2010-C.S.I(P) दिनांक-21-12-2015 द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक एवं केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा उच्चवर्गीय एवं निम्नवर्गीय लिपिकों का पदनाम क्रमश: असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर,सीनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट एवं जुनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट कर दिया गया है। केन्द्रीय सचिवालय की तर्ज पर विधान मण्डल एवं संलग्न सचिवालय में कार्यरत कर्मियों के पदनाम में भी परिवर्तन किए जाने के संबंध में विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा बिहार सरकार से लगातार माँग की जाती रही है किन्तु दो वर्ष बीत जाने के बावजुद भी इस संबंध में निर्णय नहीं लिया गया ।

अत: मैं सरकार से विधान मण्डल एवं संलग्न सचिवालय कर्मियों के पदनाम में शीघ्र बदलाव किए जाने के संबंध में सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- गुलाम रसूल
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-33/2018 - 397 (1) दिनांक- 19.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/सामान्य प्रशासन विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-28/2/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 19.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।